



सीएसआईआर – केंद्रीय विद्युतरसायन अनुसंधान संस्थान
CSIR-CENTRAL ELECTROCHEMICAL RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद/Council of Scientific & Industrial Research)
कारैकुडी/KARAIKUDI - 630 003

सं./No.07-09 (01)/2020-R&C

दि./Date: 25.03.2024

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीईसीआरआई – आवास आवंटन समिति के पुनर्गठन सम्बन्धी

Sub : Re-constitution of Residence Allotment Committee at CECRI - Reg.

संदर्भ/Ref :1. सीईसीआरआई का.ज्ञा.सं./CECRI OM No.07-19(01)/2020-R&C दि. dt. 07.04.2021

2. सीईसीआरआई का.ज्ञा.सं./CECRI OM No.07-19(01)/2020-R&C दि. dt.11.10.2022

संदर्भ अंतर्गत दिए गये कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण करते हुए और सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली, 2022 के पैरा 4.1.1, 4.1.3 तथा 4.1.5 के अनुपालन के अंतर्गत, निदेशक, सीएसआईआर-सीईसीआरआई द्वारा निम्नानुसार आवास आवंटन समिति का निम्नानुसार सहर्ष पुनर्गठन किया गया है / In supersession of this Office Memoranda cited under reference and in pursuance of Paras 4.1.1, 4.1.3 & 4.1.5 of CSIR (Residence Allotment) Rules, 2022, the Director, CSIR-CECRI, has been pleased to reconstitute the Residence Allotment Committee as follows:

1. डॉ. डी. जोनस डेविडसन, मुख्य वैज्ञानिक - अध्यक्ष/Chairman
Dr. D. Jonas Davidson, Chief Scientist
2. डॉ. पूनम सिंह, प्रधान वैज्ञानिक / - सदस्य/Member
Dr. Poonam Singh, Principal Scientist
3. श्री जी.कार्त्तिकेयन, कार्यपालक अभियंता / - सदस्य /Member
Shri G. Karthikeyan, Executive Engineer
4. श्री जी. भहत्, तकनीकी सहायक / - सदस्य /Member
Shri. G. Bahath, Technical Assistant
5. प्र.नि./COA / प्र.अ./AO - सदस्य /Member
6. वि.व ले.नि./COFA/ वि.व ले.अ./FAO - सदस्य /Member
7. अ.अ.(सा.) / SO (G) - सन्योजक/ Convener

कार्यावधि/Tenure : दिनांक 01.04.2024 से तीन वर्ष / Three years from 01.04.2024.

समिति के कार्य/Functions of the Committee:

1. अधिसूचित करने से पूर्व प्राथमिकता सूची की पड़ताल करना तथा इसे प्रमाणित करना/ Scrutinize and certify the priority lists before notification.
2. सामान्य आवंटन नियमावली से पृथक सभी मामलो की जांच-पड़ताल करना/ Examine all cases involving departure from the normal Allotment Rules.

3. प्रयोगशाला/संस्थान के प्रमुख द्वारा समिति को संदर्भित मामले पर विचार करना तथा प्रयोगशाला/संस्थान के प्रमुख, जिनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, को तत्सम्बंधी अपनी संस्तुतियां देना/ Consider any other matter referred to by the Head of the Lab./Instt., and give its recommendations to the Head of the Lab./Instt., whose decision shall be final and binding.

पि. श्यामसुन्दर

(पि. श्याम सुंदर / P. Shyam Sundar)

प्रशासन अधिकारी /Administrative Officer

सेवा में/To

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य/ Chairman/Members of the Committee

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) निदेशक/प्र.अ. का कार्यालय/Director / AO's office
- 2) दैनिक बुलेटिन के माध्यम से अन्य सभी अनुभाग/प्रभाग/ All other Sections/Divisions through Daily Bulletin